

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या- /XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 07 अक्टूबर, 2017
नवम्बर

कार्यालय-ज्ञाप

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान/ग्रेड वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण।

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-97/XXVII(7)02/2016 दिनांक 17 मई, 2017 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों जिनके वेतन और भत्ते भिन्न-भिन्न कारणों से संशोधित नहीं किए गए हैं, के सम्बन्ध में दिनांक 01 जनवरी, 2017 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन का 136% की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या-1(3)2008-ई.11(बी) दिनांक 26 सितम्बर, 2017 द्वारा उपर्युक्त वर्गों के कार्मिकों के लिए स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की दर दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 136% से बढ़ाकर 139% कर दी गयी है।

3. भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2017 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की दर 01 जुलाई, 2017 से मौजूदा 136% से बढ़ाकर 139% किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. शासनादेश संख्या-1-1599/दस-42(M)97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5. उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2017 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बड़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा दिनांक 01 नवम्बर, 2017 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10% पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

कमश:.....2

संख्या-270/xxvii(7)02/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, लेखा हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव।